बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

ज्ञाप सं0–2 / वि.60–163 / 2024–.................... /   पटना, दिनांक–.............. / 2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र, किशनगंज का अगस्त 2025 से मई 2026 तक के मकान किराये का भुगतान के निमित राशि ₹ 2,60,000 / –(दो लाख साठ हजार रूपये) मात्र एवं उक्त भवन के विद्युत विपत्र भुगतान हेतु राशि ₹ 1,00,000 / –(एक लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹ 3,60,000 / –(तीन लाख साठ हजार रूपये) मात्र की निकाशी की स्वीकृति।

आदेश:– स्वीकृत।

2. राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–08 के अधीन बजट शीर्ष "2205–कला एवं संस्कृति–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–0101–कला और संस्कृति का संवर्द्धन, विपत्र कोड–08–2205001020101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 2002 कान्फ्रेंस, कार्यशाला सेमिनार में होगा।

3. इस राशि की निकासी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा जिला कोषागार, किशनगंज से की जायेगी तथा आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र के मकान किराये का भुगतान एवं विद्युत विपत्र का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही राशि का व्यय वित्त संशोधन नियमावली 2024, बिहार लोक निर्माण संहिता तथा वित्त विभागीय संकल्प के आलोक में किया जायेगा।

4. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी आदि कला एवं संस्कृति विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।

6. उक्त प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–2 / वि.60–163 / 2024 के पृष्ठ–11 / टि0, दिनांक–18.06.2026 एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ–08 / टि0, दिनांक–10.06.2026 पर प्राप्त है।

7. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(रूबी)
निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

ज्ञापांक 188 /   पटना, दिनांक 22/06 / 2026

प्रतिलिपि :–जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, (सांस्कृतिक कार्य) / प्रशाखा पदा0–1 एवं 2 / सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट) / प्रबंधक, आई0टी0, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।